# राजस्थान सरकार
## स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

(जी–3, राजमहल पैलेस रेजिडेन्शियल एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गौदाम जयपुर–302013)
(टैलीफैक्स–0141–2226726 ई–मेल–dlbdda05@gmail.comवेब साईट:www.lsgraj.org)

क्रमांकः– प.1ग( )का/एसएमई–1/डीएलबी/25/10099 दिनांक: 26/08/2025

:– आदेशः–

राज्य के नगरीय निकायों में कार्यरत ऐसे सफाई कर्मचारी, जो अपने मूल पद संबंधी दायित्व (सफाई कार्य) का निष्पादन नहीं कर रहे हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से उनके संबंधित नगरीय निकाय में उनके मूल पद (सफाई कर्मचारी) पर उपस्थिति देकर सफाई कार्य संपादित करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

यदि कोई सफाई कर्मचारी सफाई संबंधी कार्य करने से इंकार करता है अथवा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
निदेशक

क्रमांकः– प.1ग( )का/एसएमई–1/डीएलबी/25/10100-562 दिनांक 26/08/2025
प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर ।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर ।
3. जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान ।
4. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष समस्त राजस्थान ।
5. उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग समस्त राजस्थान ।
6. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान को निर्देशित किया जाता है सफाई कर्मचारियों की क्षेत्रवार प्रतिमाह जानकारी अनिवार्य रूप से विभागीय गूगल शीट पर अपलोड की जावे एवं पालना में शिथिलता पर कठोर विभागीय कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए संबंधित अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।
7. संयुक्त निदेशक (सिस्टम एनालिस्ट) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करने हेतु ।
8. सुरक्षित पत्रावली ।

निदेशक